THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 53 **4 Poush, 1940(S)**

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

24th January, 2019

Notification No. -26/2018 – State Tax (Rate)

S.O. No. 4 Dated- 24th January, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, to a registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the state tax leviable thereon, under section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

(i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;

(ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency;

(iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of state tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when the said tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.41/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 5th December 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC, dated the 5th December 2017;

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June 2017 published Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub-section (i),*vide*, number G. S. R. 785 (E), dated the 30th June, 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st January, 2019.

[File. No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं० 26/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 4 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंत:राज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि;-

(i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे ।

(ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल और सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी ।

(iii) जहां कि शर्त (ii) यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले राज्य कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

“स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813 (अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है ।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । फा. सं.01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है ।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत) प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) “शीर्षक” से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शीर्षक से है ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 53 -- 50.